सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः एसएसए / वा0का0एवंबजट / 5077 / 2011–12 दिनांकः 06 जनवरी, 2012

विषयः वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्ययोजना की संरचना के सम्बन्ध में प्लान–पुस्तिका के प्रारूप में परिवर्तन विषयक।

महोदय,

कृपया दिनांक 29 नवम्बर, 2011 से 13 दिसम्बर, 2011 की अवधि में वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 की संरचना हेतु आयोजित कार्यशाला में दिये गये निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त कार्यशाला में वर्ष 2012–13 की प्लान पुस्तिका में अध्याय लेखन मुख्यतः गत् वर्षों के आधार पर बताया गया है। तद्नन्तर भारत सरकार से इस सम्बन्ध में नवीन निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान की वेब साईट पर आपकी सुविधा हेतु उपलब्ध है। दिनांक 30.12.2011 को भारत सरकार स्तर पर आयोजित कार्यशाला में यह निर्देश दिये गये हैं कि आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना की संरचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07.12.2011 के साथ संलग्न की गयी गाईड लाइन के अनुसार सुनिश्चित की जाये। अतः प्लान पुस्तिका की संरचना हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों को संशोधित करते हुए निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैः

1. प्लान में 26 टेबिल्स की सूचना लगायी जानी है, जिनमें से टेबिल्स 1 से 21 की सूचना जनपदों द्वारा प्लान में लगायी जानी है। टेबिल संख्या 22 से 26 की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर तैयार की जायेगी। उक्त टेबिल्स आपको पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।
2. जनपद की प्लान पुस्तिका के अध्याय अनिवार्य रूप से 1–21 टेबिल के आधार पर लिखे जायेंगे। सर्वप्रथम टेबिल में दिये गये विवरण का विश्लेषण करते हुए विवेचना की जाये और उसके उपरान्त उस

दूरभाष : [illegible], 2781316 फैक्स : 0522-2781123, [illegible], 2781316 ई-मेल : [illegible]

कार्यक्रम में वर्ष 2012–13 के लिये प्रस्ताव रखा जाये और इसके लिये बजट cost sheet में सम्मिलित किया जाये:

वर्ष 2012–13 की प्लान पुस्तिका का प्रारूप निम्नवत् रखा जाये :–

अध्याय–1

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 तक के डायस डाटा के आधार पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर जनपद की प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति का progress overview दिया जाये:

- शासकीय, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या।
- नामांकन: प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बालक–बालिका अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग आदि।
- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिका तथा सामाजिक वर्गों का GER तथा NER.
- Under age तथा Over age बच्चों का नामांकन। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक
- बालक–बालिका तथा सामाजिक वर्गों हेतु ड्रॉप आउट दर।
- बालक–बालिका तथा सामाजिक वर्गों हेतु ठहराव दर।
- प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर transition rate .
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या एवं विवरण।
- शिक्षकों की संख्या तथा ऐसे विद्यालयों की संख्या जो RTE Act में दिये गये शिक्षक–छात्र अनुपात के मानक को पूरा करते हैं।
- विद्यालय अवस्थापना सुविधाएं–स्कूल भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चहारदीवारी, रैम्प आदि।
- ऐसे विद्यालयों का प्रतिशत, जिनमें RTE के मानकों के अनुसार अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध है।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास।

अध्याय–2

वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 हेतु प्रस्ताव

शिक्षा की पहुंच

- वर्ष 2011–12 में जनपदों द्वारा दी गयी असेवित बस्तियों की सूची के अनुसार लगभग सभी असेवित बस्तियों में विद्यालय स्वीकृत किये जा चुके हैं। यदि इसके उपरान्त भी RTE नियमावली में दिये गये मानक के अनुसार अभी भी असेवित बस्तियां हैं, जिनमें नवीन प्राथमिक

एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है, उन बस्तियों की आबादी, निकटस्थ विद्यालयों से दूरी तथा असेवित बस्तियों में उपलब्ध बच्चों की संख्या आदि का विवरण देते हुए नवीन विद्यालय प्रस्तावित किये जायें और सूची लगाई जाये। इसके साथ ही वर्ष 2011–12 में स्वीकृत विद्यालयों की स्थापना एवं निर्माण की प्रगति भी दी जाये।

उपर्युक्त प्रस्ताव अनिवार्य रूप नवीन विद्यालयों की आवश्यकता से सम्बन्धित table 1A & 1B के अनुरूप से होना चाहिये।

- **आवासीय विद्यालयः** ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयविहीन ऐसी बस्तियां, जिनमें आबादी कम होने के कारण अथवा विषम भौगोलिक स्थिति के कारण औपचारिक विद्यालय खोला जाना सम्भव न हो, उनमें आवासीय विद्यालय का प्रस्ताव रखा जा सकता है। नगरीय क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव उपलब्ध सरकारी भवन में रखा जा सकता है, जिसकी मरम्मत आदि कराकर आवासीय विद्यालयों के रूप में संचालन हेतु उपयुक्त बनाने का प्रस्ताव रखा जाये।

आवासीय विद्यालयों का प्रस्ताव अनिवार्यतः table 2B में दी गयी सूचना के अनुरूप होना चाहिये।

Transport/Escort सुविधा

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय विहीन दूरस्थ एवं बिखरी हुई आबादी के बच्चों के लिये, नगर क्षेत्र में ऐसी आबादी के लिये जहां सरकारी विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध होने की समस्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की स्कूल तक पहुँच को सुगम बनाने हेतु तथा अति वंचित वर्गों के बच्चों के लिये Transport/Escort सुविधा हेतु प्रस्ताव सम्मिलित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि Transport/Escort सुविधा हेतु प्रस्ताव एक अपवाद स्वरूप है, अतः इन प्रस्तावों के संबंध मे विस्तृत औचित्य, बच्चों का विवरण, mode of transport, ऐसे बच्चों की पहचान आदि का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रस्ताव स्वीकृत होने में कठिनाई होगी।

उपर्युक्त प्रस्ताव अनिवार्य रूप से table 3A & 3B में दी गयी सूचना के अनुरूप होनी चाहिये।

आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु स्पेशल ट्रेनिंग

table 4A & 4B में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के सम्बन्ध में दिये गये विवरण के आधार पर स्पेशल ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाये। स्पेशल ट्रेनिंग के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विवरण अवश्य दिया जाये:

- गत् वर्ष आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या तथा कितने बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गयी, कितने बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है।

- स्पेशल ट्रेनिंग में प्रयुक्त की जा रही शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण साहित्य, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि का विवरण।
- **सोशल मैपिंग**

बच्चों के लिये सार्वभौमिक पहुँच हेतु यह सुनिश्चित किया जाना है कि बालिकाओं तथा अपवंचित व कमज़ोर वर्ग के बच्चों की पहुँच सुगमतापूर्वक हो। अतः प्लान में Gender, जाति, समुदाय के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिये किये गये उपायों का वर्णन किया जाये।

अध्याय–3

ठहराव

विगत् वर्षों में बच्चों के नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है किन्तु उच्च ड्रॉप आउट दर, न्यून ठहराव दर, transition एवं completion की अभी भी समस्या है। अतः कार्ययोजना में बच्चों की उपस्थिति, ठहराव तथा transition में सुधार हेतु निम्नलिखित उपायों का वर्णन किया जाये

1. बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक तथा प्रक्रियागत् बाधाओं को दूर करने जैसे– कोई शुल्क न लिया जाना, जन्म प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र आदि न लिया जाना।
2. बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक तथा निःशुल्क यूनिफार्म दिया जाना।

उपर्युक्त प्रस्ताव अनिवार्यतः table 5 तथा 6 में दी गयी सूचना के अनुरूप होना चाहिये।

3. कार्ययोजना में ऐसे उपायों को प्रस्तावित किया जाये, जो शिक्षकों की नियमित उपस्थिति तथा छात्र–छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करे, जैसे– विद्यालय तथा समुदाय के बीच सतत् विचार–विमर्श, बच्चों की शिक्षा तथा उनकी उपस्थिति तथा विद्यालय की गतिविधियों एवं उनके प्रतिभाग के सम्बन्ध में अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति से विचार–विमर्श एवं अनुश्रवण।

अध्याय–4

शिक्षा की गुणवत्ता का संवर्द्धन

इस अध्याय में निम्नलिखित बिन्दुओं पर राईट–अप दिया जाये:

पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा मूल्यांकन

RTE Act के अनुच्छेद–29 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाने है। वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 में RTE Act के अनुच्छेद–29 के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित–8 बिन्दुओं पर समावेश किया जाये:

- संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा।

- बच्चे का सर्वांगीण विकास
- बच्चे की ज्ञान एवं प्रतिभा का विकास।
- बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता का विकास।
- बालकेन्द्रित तथा बाल मैत्रिक वातावरण में बच्चे को गतिविधियों के माध्यम से तथा अनुभव के माध्यम से सीखने के अवसर।
- बच्चे की मातृ–भाषा के माध्यम से शिक्षा।
- बच्चे के लिये भयमुक्त एवं चिन्तामुक्त वातावरण का सृजन।
- व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्लान में यह भी स्पष्ट किया जाये कि Learning enhancement Plan के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम शिक्षकों तथा बच्चे पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना किस प्रकार से बच्चे की शिक्षा में मदद करेंगे।

शिक्षकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करना

विगत् वर्षों में RTE के मानक पूरा करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत काफी संख्या में शिक्षकों के पर स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2012–13 की कार्ययोजना में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति पूर्व में स्वीकृत किये गये पदों की सन्तोषजनक प्रगति के आधार पर ही सम्भव होगा। अतः इस सम्बन्ध में table- 8A, 8B & 8C में विवरण सावधानीपूर्वक भरा जाये और इन tables के आधार पर ही अतिरिक्त शिक्षकों के पदों का प्रस्ताव रखा जायेगा।

RTE Act के अनुच्छेद–25 में प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षक–छात्र अनुपात सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस हेतु निम्नलिखित रणनीति अपनायी जानी होगी:

अ) विद्यालयों में कार्यरत् अध्यापकों का युक्तियुक्त पदस्थापन/समायोजन।
ब) सृजित पदों के सापेक्ष शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना।
स) अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती।

अतएव वार्षिक कार्ययोजना में विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन/समायोजन की प्रगति दी जानी होगी। इस हेतु सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालयों, कमी वाले विद्यालयों को चिन्हित करना, सरप्लस शिक्षकों का समायोजन और पारदर्शिता के रूप में शिक्षकों की भर्ती किये जाने की रणनीति रखी जानी होगी। पदोन्नति से भरे गये पदों की प्रगति तथा पदोन्नति हेतु आगे की कार्यवाही का उल्लेख भी किया जाये।

अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण

आर0टी0ई0 एक्ट के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों (शिक्षामित्रों) को एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कराकर निर्धारित योग्यतायें अर्जित कराई

जानी है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में अप्रशिक्षित शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम माह अगस्त, 2011 से प्रारम्भ किया गया है जो गतिमान है। तद्नुसार वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2012–13 में इन शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण की प्रगति एवं प्रस्ताव रखा जाये।

यह प्रस्ताव टेबिल संख्या 09 में दिये गये विवरण के अनुरूप होना चाहिये।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाये।

- विकास खण्डवार अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का आंकलन, प्रशिक्षण हेतु अवस्थापना सुविधा तथा संदर्भदाताओं की उपलब्धता।
- वर्ष 2011–12 में शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण की प्रगति।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री, कान्टेक्ट सेशन की अवधि, प्रोजेक्ट वर्क, मूल्यांकन परीक्षा व्यवस्था।
- संदर्भदाताओं का चयन।
- कान्टेक्ट सेशन हेतु निर्धारित स्थल।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था।

शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण

आर0टी0ई0 एक्ट के अनुच्छेद–29 में शिक्षा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है तथा इस सन्दर्भ में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव रखा जाना है। प्रस्ताव में शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल, संदर्भ दाताओं का प्रशिक्षण, शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि के बिन्दुओं का समावेश किया जाये और वर्ष 2012–13 हेतु प्रशिक्षण कैलेन्डर भी लगाया जाये।

टीचर सपोर्ट सिस्टम का संवर्द्धन

टेबिल संख्या–10 एवं 11 में दिये गये विवरण के आधार पर विकासखण्ड संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव रखा जाये। केन्द्रों में कार्यरत समन्वयक/सहसमन्वयक/स्टाफ फर्नीचर आदि का विवरण दिया जाये।

कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम

टेबिल संख्या–12 के आधार पर कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा का प्रावधान दिया जाये। इस प्रस्ताव में नये हार्डवेयर, वर्तमान हार्डवेयर का अपग्रेडेशन, सॉफ्टवेयर शिक्षक प्रशिक्षण आदि विन्दुओं पर राइटअप दिया जाये।

अनुवल ग्रान्ट्स (वार्षिक अनुदान)

- टेबिल संख्या–13 के आधार पर अध्यापक अनुदान का प्रस्ताव रखा जाये।
- टेबिल संख्या–14 के आधार पर विद्यालय अनुदान का प्रस्ताव रखा जाये।
- टेबिल संख्या–15 के आधार पर विद्यालय रखरखाव अनुदान का प्रस्ताव रखा जाये।

और इसी के अनुरूप REMS हेतु प्रस्ताव रखा जाये।

अध्याय–5

जेण्डर गैप तथा सामाजिक समूहों में अन्तर को समाप्त करना

प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत जेण्डर गैप समाप्त करना तथा सामाजिक वर्गों के अन्तर को समाप्त करना सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य रहा है तथा इस दिशा में विगत वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति भी हुयी है। इसके बावजूद इस दिशा में और अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है ताकि बालिकाओं तथा अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को किसी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े। अतः वर्ष 2012–13 की कार्ययोजना में इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का वर्णन किया जाये।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित 06 कैटैगरी में स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट भारत सरकार द्वारा चिन्हित किये गये हैं :–

1. अनुसूचित जाति बाहुल्य जनपद
2. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जनपद
3. मुस्लिम आबादी बाहुल्य जनपद
4. नामांकन में अधिक जैण्डर गैप वाले जनपद
5. नक्सल प्रभावित जनपद

अतः आपका जनपद स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट की जिस कैटैगरी में हो उससे सम्बन्धित जेण्डर तथा सामाजिक समता हेतु प्लान रखा जाना चाहिये।

समेकित शिक्षा

टेबिल संख्या–16 में दिये गये विवरण के आधार पर विशिष्ट आवश्यकतावाले बच्चों के लिये समेकित शिक्षा का कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाये।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

टेबिल संख्या–17 के आधार पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रस्ताव रखा जाये।

एन0पी0ई0जी0ई0एल0

एन0पी0ई0जी0ई0एल0 योजना के सम्बन्ध में प्रगति तथा वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित गतिविधियों का प्रावधान रखा जाये।

सर्व शिक्षा अभियान के नवाचार मद में संचालित कार्यक्रम मीना मंच, अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यक्रम, नगर क्षेत्र का कार्यक्रम, अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों के बच्चों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा जाये।

टेबिल संख्या–18 में अपवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का प्राइवेट, गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25% स्थान पर प्रवेश के सम्बन्ध में विवरण दिया जाये।

सामुदायिक सहभागिता

आर0टी0ई0 एक्ट के तहत बच्चों की शिक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें से प्रमुख निम्नवत् हैं :

- स्क्रीनिंग टेस्ट तथा कैपीटेशन फीस पर रोक।
- बच्चों का कक्षा में डिटेन्शन न किया जाना।
- शारीरिक तथा मानसिक दण्ड पर रोक।
- बोर्ड परीक्षायें/सार्वजनिक परीक्षायें आयोजित न करना।

उपर्युक्त प्रावधानों/निर्देशों की जानकारी शैक्षिक प्रशिक्षकों, शिक्षकों, स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों आदि को करने हेतु क्या–क्या प्रयास किये गये हैं इस सम्बन्ध में वर्णन किया जाये।

प्रबन्ध समितियों को क्रियाशील बनाने तथा उनको सुदृढ़ बनाने हेतु प्रस्ताव रखा जाये ताकि विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय विकास योजना का निर्माण कर सके। अतः विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाये।

अध्याय–6

स्कूल अवस्थापना सुविधायें

स्कूल अवस्थापना सुविधाओं में सुधार

आर0टी0ई0 एक्ट के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि नियमावली में दिये गये मानकों के अनुसार स्कूल अवस्थापना सुविधाओं के पूर्ति मार्च, 2013 तक कर ली जाये। अतः नवीन विद्यालयों के निर्माण पर सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जाये। प्रत्येक स्कूल कम्पोजिट भवन हो जिसमें सभी घटक जैसे शौचालय, हैण्डपम्प, बाउन्ड्रीवाल, रैम्प आदि उपलब्ध हो।

वर्तमान स्कूल अवस्थापना सुविधाओं का संवर्द्धन

इस सम्बन्ध में प्रस्ताव टेबिल संख्या–19, 20,21 के आधार पर रखा जाये। आर0टी0ई0 एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित मानकों की पूर्ति हेतु पूर्व से संचालित विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का संवर्द्धन किया जाना जिसमें अतिरिक्त कक्षा–कक्ष , बालक व बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, बाउन्ड्रीवाल, हैण्डरेल सहित रैम्प आदि। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये।

- प्रधानाध्यापक हेतु कक्ष का निर्माण उन्ही विद्यालयों में अनुमन्य होगा जिसमें एक्ट के अनुसार प्रधान अध्यापक के पद अनुमन्य हैं। यदि विद्यालय में पूर्व से सरप्लस कक्षा–कक्ष हों तो उन्हें प्रधानाध्यापक कक्ष के रूप में उपयोग में लिया जाये और पृथक से प्रधानाध्यापक कक्ष निर्माण प्रस्तावित न किया जाये। प्लान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि इस बिन्दु को ध्यान में रखने के उपरान्त ही अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता का आंकलन प्रस्तावित किया गया है।
- सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम तथा ग्रामीण पेयजल योजना से अधिक से अधिक कन्वर्जेन्स स्थापित किया जाये।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिये उचित शौचालय सुविधा।

- इस अध्याय के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति भी स्पष्ट रूप से दी जाये। निर्माण कार्यों की पूर्णता में विलम्ब की स्थिति होने पर नई स्वीकृति दिये जाने में कठिनाई होगी। निर्माण कार्यों में स्पिल ओवर का आंकलन वास्तविक आधार पर दिया जाये।

अध्याय–7

प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

प्रबन्धन का एकीकरण

आर0टी0ई0 एक्ट का आशय केवल सर्व शिक्षा अभियान से न लिया जाये। एक्ट के प्राविधानों का क्रियान्वयन एक एकीकृत स्वरूप में किया जाना है। अतः वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्ययोजना में यह स्पष्ट रूप से विवरण दिया जाये कि सम्पूर्ण शिक्षा विभाग यथा बेसिक शिक्षा विभाग, एस0सी0ई0आर0टी0, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा से क्या–क्या कन्वर्जेन्स रहे हैं इसका उल्लेख किया जाये। अतः सर्व शिक्षा अभियान से अतिरिक्त जिस विभाग से जो कार्य बच्चों की शिक्षा हेतु किया गया उनका वर्णन प्लान में किया जाये।

कार्यक्रम क्रियान्वयन का अनुश्रवण

ब्लाक स्तर पर एम0आई0एस0 यूनिट स्वीकृत किया गया जिसे पूर्ण रूप में क्रियाशील बनाया जाये जिससे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का एकीकरण संभव हो सके।

स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्टस

भारत सरकार द्वारा कैटेगरी A,B,C में स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्टस चिन्हित किये गये हैं जो निम्नवत् हैं :–

SFD-A Category

अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के गैप के आधार पर

आजमगढ़, बदायूं, बिजनौर, देवरिया, हरदोई, जौनपुर, खीरी, मुरादाबाद, रामपुर, सीतापुर (10)

SFD-B Category

(आउट आफ स्कूल बच्चों की संख्या के आधार पर)

शून्य

SFD-C Category

ठहराव दर 60% से कम

आगरा, अलीगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी, एटा, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, गोण्डा, गोरखपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर (15)

अनुसूचित जाति की आबादी के अनुसार

औरैया, आजमगढ़, बाराबंकी, चित्रकूट, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, झांसी, कौशाम्बी, खीरी, महाराजगंज, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव (17)

अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी के आधार पर
बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बदायूं, रामपुर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, जे0पी0नगर, खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर (20)

नक्सल प्रभावित जनपद
सोनभद्र

बार्डर एरिया जनपद
बहराइच, बलरामपुर, खीरी, महाराजगंज, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर (7)

उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार सभी जनपदों को स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी के अनुसार अपने प्लान में प्रस्ताव रखा जाना है और इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये। भारत सरकार द्वारा प्लान के परीक्षण के समय यह देखा जायेगा कि स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट द्वारा विभिन्न कैटेगरी में क्या प्रस्ताव रखा गया और किस आधार पर रखा गया। अतः प्लान की संरचना में स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट से सम्बन्धित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है।

अध्याय–8

कॉस्टशीट

संलग्नक– 1. 1–21 टेबिल्स
2. प्रस्तावित कार्यों की सूची

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त निर्देश आपको पूर्व में दिये गये विस्तृत निर्देशों में ही समाहित हैं। वस्तुतः आप द्वारा तैयार किये गये राइट अप में से कुछ सरप्लस अंश हटाये जाने हैं और मुख्यतः अध्याय–7 (प्रस्तावित कार्यक्रम) का टेबिल्स के आधार पर पुनः आलेखन एवं पुनर्व्यस्थित करना है। अतः इस कार्य में अतिरिक्त समय तथा श्रम की आवश्यकता नहीं होगी।

कृपया उपरोक्त के अनुसार अपने जनपद की कार्ययोजना की हार्डकापी (03 प्रतियों में) तथा सी0डी0 में दिनांक 20 जनवरी, 2012 तक राज्य परियोजना कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

06/01/12

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: वा0का0यो0एवं बजट/ 5617 /2011–12/तद्दिनांक
प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित है कि उपर्युक्त से अवगत होते हुये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल को इस आशय से प्रेषित है कि अपने मण्डल के सभी जनपदों में उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में प्लान की संरचना का अनुश्रवण कर लें तथा निर्धारित तिथि तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।
3. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
4. वरिष्ठ सलाहकार, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक